न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,(प्रशासन) बीकानेर

बईजलास श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 05/2011

बलवीरसिंह पुत्र ज्वालासिंह जाति जटसिख निवासी रानी बाजार बीकानेर

अपीलान्ट

बनाम

1. श्री रामसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी मकान नं. 418 रोड़ नं. 3 सरदारपुरा जोधपुर फौत जायज वारिसान
   1/1 लीला चौहान पुत्री रामसिंह निवासी नागौरीगेट जोधपुर
   1/2 निर्मला चौहान पुत्री रामसिंह निवासी नागौरी गेट जोधपुर
2. श्री सवाईसिंह
3. अमरसिंह
4. प्रेमसिंह
5. पूनमसिंह

   पिसरान देवीसिंह जाति राजपूत निवासीगण मकान नम्बर 418 रोड़ नं. 3 सरदारपुरा जोधपुर
6. जयसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी महिला पोलट्री फार्म एम.एस. कॉलेज के पास, गजनेर रोड़, बीकानेर
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बीकानेर

रेस्पोडेन्ट्स

::अपील अर्न्तगत धारा 23 राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973::

उपस्थिति :–

1– अपीलान्ट की ओर से – श्री दौलतसिंह एडवोकेट
2– रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 – अनुपस्थित।
2– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय **दिनांक 27.12.2019**

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 23 राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट 1973 के तहत आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) बीकानेर दिनांक 05.10.1972 जिसकी रूह से उनके यहां विचाराधीन सीलिंग प्रकरण मि.स. 183/72 अनवान सरकार बनाम देवीसिंह में प्रार्थी अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि को अनुचित रूप से अवाप्त करने के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विद्वान प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी(दक्षिण) बीकानेर का अपीलाकृत निर्णय गलत है, अनुचित है, तथ्यों व कानून के विपरीत है, स्वेच्छाचारिता पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलाकृत निर्णय निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्टासन की भार रहित भूमि नियमानुसार अवाप्त की जावे तथा अपीलान्ट की भूमि सीलिंग अवाप्ति से मुक्त की जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर मामला दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया । रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 ता 6 उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई व मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर बहस सुनी गई ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

3. विद्वान अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट ने उतरवादीगण संख्या 1 ता 6 के पिता श्री देवीसिंह पुत्र श्री किशनसिंह से सरहद रोही मोजा कन्या बन्धा तहसील कोलायत में स्थित ुद काबिल आराजी मोरूस खसरा नम्बर 44 में 25 बीघा, खसरा नम्बर 73 में 24 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 76 में 25 बीघा, खसरा नम्बर 77 में 23 बीघा, खसरा नम्बर 78 में 25 बीघा, खसरा नम्बर 79 में 25 बीघा, खसरा नम्बर 80 में 25 बीघा, खसरा नम्बर 81 में 25 बीघा, खसरा नम्बर 82 में 25 बीघा, खसरा नम्बर 97 में 25 बीघा, खसरा नम्बर 98 में 25 बीघा, खसरा नम्बर 99 में 25 बीघा, खसरा नम्बर 100 में 25 बीघा, खसरा नम्बर 101 में 25 बीघा, खसरा नम्बर 102 में 25 बीघा, खसरा नम्बर 103 में 25 बीघा, खसरा नम्बर 104 में 25 बीघा व खसरा नम्बर 105 में 25 बीघा कुल तादादी 499 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि दिनांक 23.01.1960 को अन्य खरीददारान के साथ खरीद कर विक्रय विलेख निष्पादित कराया था एवं उक्त वर्णित भूमि पर उसी दिन कब्जा प्राप्त किया था। उक्त वर्णित भूमि में 1/10 हिस्सा भूमि यानि लगभग 50 बीघा भूमि प्रार्थी अपीलान्ट के कब्जा व भोग में रही है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का चेप्टर थर्ड जिसमे धारा 30 बी से 30 जे दिनांक 15.12.1963 से प्रभावी हुआ है। प्रार्थी अपीलान्ट राजस्थान का मूल निवासी है तथा कृषि पेशा व्यक्ति है इसलिए प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा खरीदशुदा भूमि का विक्रय विलेख को मान्यता देकर ही विद्वान प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी(दक्षिण) बीकानेर को भूमि अवाप्त करनी चाहिए थी। किन्तु विद्वान प्राधिकृत अधिकारी ने प्रार्थी अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना उसकी पीठ पीछे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाकृत निर्णय पारित कर प्रार्थी अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि में से 112 बीघा भूमि अवाप्त करने के निर्णय से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट राजस्थान का मूल निवासी कृषि पेशा व्यक्ति की खरीद शुदा भूमि को अवाप्ति भूमि में सम्मिलित नहीं की जाती है। उतरवादीगण की भार रहित भूमि ही अवाप्त की जानी चाए थी। अधीनस्थ अदालत ने उतरवादीगण की भार रहित भूमि अवाप्त न कर प्रार्थी अपीलान्ट की खरीद की गई भूमि को अवाप्त की है, जो अनुचित है तथा विधि सम्मन नहीं होने के कारण अपीलाकृत निर्णय निरस्त योग्य है। अधीनस्थ अदालत के प्रार्थी को नोटिस दिये बिना उसकी पीठ पीछे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाकृत निर्णय पारित किया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा खरीद की भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज इन्तकाल संख्या 35/1 दिनांक 23.11.1964 तथा उसके बाद राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज उक्त इन्तकाल से हो गया था इस प्रकार अपीलाकृत निर्णय पारित होने के पूर्व अपीलाकृत निर्णय में वर्णित भूमि के प्रार्थी खातेदार टिनेन्ट था, काबिज था, काश्तकार था। अवाप्त भूमि भार रहित नहीं थी। ऐसी भूमि को अधीनस्थ अदालत को अवाप्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। अपीलाकृत निर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण एबनिशियों वॉयड है, प्रभावहीन, शून्य है। अपीलाकृत निर्णय में वर्णित भूमि पर अपीलाकृत निर्णय पारित करने के पूर्व उपनिवेशन अधिनियम क्षेत्र लागू हो गया था। दिनांक 30.03.1999 को अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

जयसिंह मौका पर आया तथा उसके साथ तीन आदमी ओर थे जो भूमि देख रहे थे इस पर अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट जयसिंह से पूछा तो जयसिंह ने बताया कि उनकी सीलिंग से शेष रही भूमि का विक्रय कर रहे है तब अपीलान्ट ने पूछा कि सीलिंग में कौन सी भूमि गई है तो उसने अपीलाकृत निर्णय में वर्णित भूमि का हवाला दिया। अपीलान्ट को सर्वप्रथम अपीलाकृत निर्णय में वर्णित भूमि सीलिंग में आने की जानकारी हुई इस पर अपीलान्ट ने वकील से संपर्क किया तथा निर्णय की प्रमाणित नकल प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत की गई है। देरी में अपीलान्ट का कोई मूल या लापरवाही नहीं रही है। अतः अपीलाकृत निर्णय निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्टान की भार रहित भूमि नियमानुसार अवाप्त की जावे तथा अपीलान्ट की भूमि सीलिंग अवाप्ति से मुक्त की जावे।

4. विभागीय प्रतिनिधि ने बहस में कथन किया कि ग्राम चक बन्धा में मौरूसीदार श्री देवीसिंह पुत्र किशनसिंह की कृषि भूमि सीलिंग सीमा से अधिक भूमि कुल 723.12 बीघा में से 112 बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) बीकानेर द्वारा अवाप्त करने के आदेश पारित किये है। दिनांक 5.10.72 को खसरा नम्बर 102 की 25 बीघा, 103 की 25 बीघा, 104 की 25 बीघा, 105 की 25 बीघा एवं 101 की 12 बीघा कुल 112 बीघा भूमि को सीलिंग में अवाप्त करने के आदेश पारित हुऐ है। जिसका नामान्तरण संख्या 57 के द्वारा भूमि आराजीराज दर्ज की गई। मौका अनुसार वर्तमान में उक्त सीलिंग सरप्लस भूमि का आबंटन इसरसिंह पुत्र भूरसिंह राजपूत सा. खेतोलाई शिम्भू खसरा नम्बर 101 की 12 बीघा, कृष्णा पुत्र उतमचन्द कौम माली सा. बीकानेर को खसरा नम्बर 102 की 25 बीघा, सुरेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल सा. बीकानेर खसरा नम्बर 103 की 25, सूरतसिंह पुत्र कल्याणसिंह कौम राजपूत सा. खेतोलाई शिम्भू को खसरा नम्बर 105 की 25 बीघा तथा गेनसिंह पुत्र कल्याणसिंह कौम राजपूत सा. खेतोलाई शिम्भू को खसरा नम्बर 104 की 25 बीघा आबंटन हुई है। सीलिंग में आवाप्त भूमि का आबंटन होकर खातेदारी अधिकार दिये जाकर आगे भी विक्रय हो चुकी है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट को निर्णय का ज्ञान था। अतः अपीलाण्ट की अपील गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण अस्वीकार की जावे ।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट के द्वारा यह अपील प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी(दक्षिण) बीकानेर के निर्णय दिनांक 05.10.1972 के विरूद्ध दिनांक 6.4.1999 को प्रस्तुत की गई है। जो कि दिनांक 21.4.1999 को मियाद बिन्दु को सुरक्षित रखते हुऐ दर्ज हुई है। इसलिए सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर चिार किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपील को मियाद पर सुनने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एबइनिशियों वॉयड होने से मियाद अधिनियम लागू नहीं है। साथ ही कथन किया कि दिनांक 30.03.1999 को रेस्पोडेन्ट जयसिंह मौके पर 3–4 आदमियों के साथ भूमि देख रहे थे तब अपीलान्ट द्वारा जयसिंह से पूछने पर जयसिंह ने सीलिंग से शेष रही भूमि का विक्रय करने का कहा तब अपीलान्ट को सीलिंग में कौनसी भूमि आई है के बारे मे

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

जानकारी होने का कथन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के तथ्यों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन करें तो स्पष्ट होता है कि दिनांक 5.10.72 को खसरा नम्बर 102 की 25 बीघा, 103 की 25 बीघा, 104 की 25 बीघा, 105 की 25 बीघा एवं 101 की 12 बीघा कुल 112 बीघा भूमि को सीलिंग में अवाप्त करने के आदेश पारित हुऐ है। जो कि नामान्तरण संख्या 57 के द्वारा उक्त अवाप्त शुदा भूमि आराजीराज दर्ज की गई। तहसीलदार कोलायत के पत्र क्रमांक 2126 दिनांक 16.9.2011 में यह भी उल्लेख है कि उक्त सीलिंग सरप्लस भूमि का आबंटन (1) इसरसिंह पुत्र भूरसिंह राजपूत सा. खेतोलाई शिम्भू खसरा नम्बर 101 की 12 बीघा आबंटन दिनांक 30.9.1976 ना.स. 69 दिनांक 18.5.1976 तथा खातेदार 13.2.1986 को दी गई। (2) कृष्णा पुत्र उतमचन्द कौम माली सा. बीकानेर को खसरा नम्बर 102 की 25 बीघा आबंटन दिनांक 31.1.76 नामान्तरण संख्या 18.5.76 तथा खातेदार नामान्तरण संख्या 93 दिनांक 20.9.1977 को दर्ज हुआ। (3) सुरेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल सा. बीकानेर खसरा नम्बर 103 की 25 आवंटन नामा. संख्या 67 दिनांक 18.5.1976 खातेदार नामा. सं. 80 दिनांक 03.02.1977 दर्ज हुआ। (4) सूरतसिंह पुत्र कल्याणसिंह कौम राजपूत सा. खेतोलाई शिम्भू को खसरा नम्बर 105 की 25 बीघा नामान्तरण संख्या 71 दिनांक 18.5.1976 आबंटन से दर्ज हुआ। (5) गेनसिंह पुत्र कल्याणसिंह कौम राजपूत सा. खेतोलाई शिम्भू को खसरा नम्बर 104 की 25 बीघा नामा. संख्या 70 व खातेदार नामा. सं. 79 दिनांक 03.02.1977 आबंटन से दर्ज हुई है। आवंटन के पश्चात इन्हें खातेदारी अधिकार मिले तथा खातेदारी मिलने के पश्चात इन्होनें भूमि का विक्रय कर दिया जिसके नामान्तरकरण भी दर्ज हो चुके है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह कथन कि उसे निर्णय का ज्ञान नहीं था, पूर्णतया मनगढ़त एवं मिथ्या है। क्योंकि सीलिंग में आवाप्त भूमि न केवल आबंटन होकर खातेदारी अधिकार दिये जाकर आगे भी विक्रय हो चुकी है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। अपील मियाद बाहर होने के साथ ही अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 27.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया है । निर्णय प्रति तहसीलदार कोलायत को प्रेषित की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड लौटाया जावे।

(ए.एच. गौरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जिला बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर